रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2012/फाल्गुन 26, 1933
No. 113] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

सा.का.नि. 152(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2012 है।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में, क्रम संख्या 69, 'आटा मिलों' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"69.	अनाज प्रसंस्करण, आटा मिलें, धान प्रसंस्करण, दाल प्रसंस्करण या पीसने वाली मिलें	क. - उत्सर्जन मानक		
			क्षमता (टन प्रति घंटा)	सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./नार्मल घनमीटर
		विविक्त पदार्थ	1 से 3	150
			3 से अधिक	100
		टिप्पणी:- (1) सभी धूल उत्पन्न करने वाले उपकरणों या प्रक्रियाओं में धूल निष्कर्षण व्यवस्था की जाएगी। (2) बैग हाउसों, आदि को 12 मीटर ऊंची अथवा उद्योग में स्थापित भवन या शेड या संयंत्र के सर्वोच्च बिंदु से कम से कम 2 मीटर ऊंची चिमनियों/स्टैकों से जोड़ा जाएगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)		
		(3) इकाई द्वारा शॉप फ्लोर/फ्यूजिटिव उत्सर्जनों को 12 मीटर ऊंची अथवा उद्योग में स्थापित भवन या शेड या संयंत्र के सर्वोच्च बिंदु से कम से कम 2 मीटर ऊंची एक चिमनी प्रणाली के द्वारा उत्सर्जित किया जाएगा।			
		ख. - बहिस्राव मानक			
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, pH को छोड़कर		
			अंतर्देशीय सतही जल	सार्वजनिक सीवर	सिंचाई हेतु भूमि
		pH	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0
		निलम्बित ठोस कण	100	600	200
		तेल व ग्रीस	10	20	30
		BOD, 3 दिन, 27^0 सैंटीग्रेड	30	350	100
		COD	250	-	-
		ग. - वर्षा जल मानक			
		(i) किसी इकाई (जिसके प्लाट का आकार कम से कम 250 वर्ग मीटर हो अथवा उत्पादन क्षमता एक टन प्रति घण्टे से ज्यादा हो) के वर्षा जल को मार्जक जल, बहिस्राव और/अथवा तलधुलाई अपजल के साथ मिलाने के लिये अनुमति नहीं दी जाएगी। (ii) इकाई की अंतसीमा के वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट की संग्रहण क्षमता (घंटे के औसत) के एच.डी.पी.ई. परत वाले गर्त के माध्यम से अलग नाली के द्वारा बहाया जाएगा।"।			

[फा. सं. क्यू-15017/33/2007-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और इसके पश्चात सं. का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987 और अभी हाल में: सा.का.नि. 512(अ) तारीख 9 जुलाई 2009: सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई 2009: सा.का.नि. 595(अ) तारीख 21 अगस्त 2009: सा.का.नि. 794(अ) तारीख 4 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 826(अ) तारीख 16 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 01(अ) तारीख 1 जनवरी 2010: सा.का.नि. 61(अ) तारीख 5 फरवरी 2010: सा.का.नि. 485(अ) तारीख 9 जून 2010: सा.का.नि. 608(अ) तारीख 21 जुलाई 2010: सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर 2010 और सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर 2010: सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011: सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011: सा.का.नि. 354(अ) तारीख, 02 मई, 2011: सा.का.नि. 424(अ), तारीख, 01 जून, 2011 और सा.का.नि. 446(अ), 13 जून, 2011 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 69 relating to 'Flour Mills' and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"69.	Grain Processing, Flour Mills, Paddy Processing, Pulse Making or Grinding Mills	**A.-Emission Standards**		
			Capacity (tonne per hour)	Limiting Concentration in mg/Nm^3
		Particulate matter	1 to 3	150
			More than 3	100
		Notes:- (i) All dust generating equipments or processes shall be provided with dust extraction arrangement. (ii) The bag houses, etc., shall be connected to chimneys/stacks of 12 metres height or at least 02 metres above the top most point of the building or shed or plant in the industry. (iii) The unit shall channelise shop floor/fugitive emissions through a stack of 12 metres height or at least 02 metres above the top most point of the building or shed or plant in the industry.		

(1)	(2)	(3)	(4)		
		B.- Effluent Standards			
			Limiting value for concentration in mg/l, except for pH		
			Inland surface water	Public sewer	Land for irrigation
		pH	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0
		Suspended Solids	100	600	200
		Oil & Grease	10	20	10
		BOD, 3 days at 27°C	30	350	100
		COD	250	-	-
		C.-Stormwater Standards			
		(i) Stormwater for a unit (having plot size atleast 250 square meters) shall not be allowed to mix with scrubber water, effluent and/or floor washings. (ii) Stormwater within the battery limits of a unit shall be channelized through separate drain/pipe passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.".			

[F. No. Q-15017/33/2007-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009;G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595 (E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) ,dated 21st July, 2010 ; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010 ; and G.S.R. 809(E), dated, 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated, the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated, the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated, the 2nd May , 2011; G.S.R. 424 (E), dated, the 1st June, 2011; and G.S.R. 446 (E),13th June, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.